राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 512/2024

संतोष सेन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत भावा, पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति कुम्भलगढ़ किया गया है। उनका कथन है कि उक्त आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानानुसार नियम 89(8)2 के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी का पदस्थापन जिला परिषद की प्रशासन एवं पदस्थापन समिति की बिना सहमति के जारी किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि आलोच्य आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित किया जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत भावा, पंचायत समिति राजसमंद, जिला राजसमंद में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति कुम्भलगढ़ किया गया है। जहां तक प्रधान की असहमति के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत भावा, पंचायत समिति राजसमंद के सरपंच के पत्र दिनांक 23.02.2024 जिसमें अपीलार्थी के स्थानान्तरण पर असहमति का उल्लेख किया गया है। परंतु उक्त असहमति सरपंच ग्राम पंचायत भावा के पत्र द्वारा व्यक्त की गई है जबकि आलोच्य आदेश जारी होने के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 89(8)2 के विपरीत जाकर एवं पंचायती राज नियम, 1994 के नियम 289(1 से 4) के तहत जिले के कार्मिक के स्थानान्तरण एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में करने के लिये संबंधित पंचायत समिति के प्रधान की सहमति लिया जाना आवश्यक है, जो अपीलार्थी द्वारा संबंधित प्रधान की असहमति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य